राजस्थान सरकार
वित्त, आबकारी एवं कराधान विभाग

राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणाओं एवं अन्य स्वीकृतियों के अनुसरण में समय–समय पर नवीन भवनों के निर्माण करवाये जाते है। परन्तु यह भी देखना आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर संबंधित उपयोग हेतु क्या पूर्व में ही अन्य सरकारी भवन उपलब्ध है। **राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से करवाये गये सर्वे से दस हजार से अधिक राजकीय भवनों की सूची तैयार की गयी है जो वर्तमान में काम में नहीं आ रहे है।** ये खाली भवन विभिन्न विभागों के उपयोग में लिये जा सकते है। इन भवनों की सूची जिला कलेक्टर के स्तर पर उपलब्ध है। जिला कलेक्टर द्वारा इन भवनों को किसी भी राजकीय विभाग को आंवटन भी किया जा सकता है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों को यह सलाह दी जाती है कि भविष्य में किसी भी नवीन भवन के निर्माण का प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व जिला कलेक्टर के माध्यम से यह परीक्षण कर लेवे कि इस उपयोग हेतु वहां पर पूर्व में उपयोग में नहीं आ रहा कोई निर्मित भवन तो नहीं है। यदि ऐसा कोई भवन उपलब्ध हो तो प्राथमिक के तौर पर उस भवन का उपयोग किया जावे।

वित्त विभाग को नवीन भवन स्वीकृति का प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व भी यह सुनिश्चित कर लिया जावें। इस सन्दर्भ में जिला कलेक्टर से उपयुक्त भवन नहीं होने का प्रमाण पत्र वित्त विभाग को नवीन भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भिजवाते समय संलग्न किया जावे।

Sudhanshu Pant
(**सुधांश पंत**) 21/10/2025
मुख्य सचिव

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (समस्त)

अ0शा0 टीप क्रमांक प. FD/Exp.2/GAD(01)2025-26
जयपुर, दिनांक 21.10.25